अति–महत्वपूर्ण

प्रेषक,

रितु माहेश्वरी
(आई0ए0एस0)
मिशन निदेशक,
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन,
उ0प्र0।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
आयुष,
उ0प्र0 शासन।

पत्रांक–ए0बी0डी0एम0यू0पी0/2024–25/ 424 **दिनांक–** 13 **.02.2025**

विषयः– आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अर्न्तगत प्रदेश में कार्यरत विभिन्न चिकित्सा पद्यतियों के स्वास्थ्य सेवा प्रदाता एवं स्वास्थ्य सेवा इकाईयों का कमशः एच0पी0आर0 एवं एच0एफ0आर0 बनाये जाने एवं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सक्षम हास्पिटल मैनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम (एच०एम०आई०एस०) का उपयोग किये जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप अवगत ही हैं कि शासनादेश संख्या–D.O. No. S-12019/128/2021-NDHM, 31ST MAY 2021 के क्रम में ''आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन''(ए०बी०डी०एम०) का क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा पूरे भारत वर्ष मे किया जा रहा है और उक्त मिशन का क्रियान्वयन उ०प्र० राज्य में हो रहा है। ''आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन'' (ए०बी०डी०एम०) का उद्देश्य देश में एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य की आधारभूत संरचना को सहयोग प्रदान करने के लिए आवश्यक ईको सिस्टम विकसित करना है। इसमें डिजिटल हाईवेज के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल सम्बन्धी ईको सिस्टम के विभिन्न हित धारकों के मध्य विद्यमान विसंगतियों का निवारण होगा।

भारत वर्ष के प्रत्येक नागरिक का आयुष्मान भारत हेल्थ एकाउन्ट (आभा– ABHA) का निर्माण किया जा रहा है जो कि एक राष्ट्रीय पहचान संख्या है और आधार की तरह पूरे भारत वर्ष में यूनीक होगा। विभिन्न चिकित्सा पद्यतियों में कार्यरत समस्त स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का एच0पी0आर0 एवं स्वास्थ्य इकाईयों का एच0एफ0आर0 बनाया जा रहा है यह भी राष्ट्रीय पहचान संख्या हैं और पूरे भारत वर्ष में यूनीक होंगे।

आभा आधारित पंजीकरण हेतु आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सक्षम हास्पिटल मैनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम (एच०एम०आई०एस०) का उपयोग किया जाना है। जिससे मरीजों के डिजिटल हेल्थ रिकार्ड का निर्माण किया जा सके और मरीज अपनी सहमति के आधार पर उपयोग कर सके।

यंहा यह भी अवगत कराना है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंगीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा डिजिटल हेल्थ इन्सेन्टिव स्कीम (DHIS) को लागू किया गया है जिसमे आभा आधारित पंजीकरण करने एवं आभा से रिकार्ड जोड़ने पर चिकित्सा इकाई को स्थापित नियमानुसार प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाएगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रदेश में संचालित सरकारी एवं निजी क्षेत्र के समस्त आयुष स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं एवं स्वास्थ्य इकाईयों का क्रमशः एच0पी0आर0 एवं एच0एफ0आर0 बनाने हेतु एवं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सक्षम हास्पिटल मैनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम (एच०एम०आई०एस०) का उपयोग करने के लिये आवश्यक गतिविधियाँ सम्पादित कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(रितु माहेश्वरी)
(आई0ए0एस0)
मिशन निदेशक
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, उ0प्र0।

पत्रांकः–ए०बी०डी०एम०यू०पी०/2024–25/ तद्दिनांक–

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः –

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. गार्ड फाइल।

(डा0 मोहित सिंह)
संयुक्त निदेशक,
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, उ0प्र0।

अति–महत्वपूर्ण

प्रेषक,

रितु माहेश्वरी
(आई0ए0एस0)
मिशन निदेशक,
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन,
उ0प्र0।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
आयुष,
उ0प्र0 शासन।

पत्रांक–ए0बी0डी0एम0यू0पी0/2024–25/424 **दिनांक– 13.02.2025**

विषयः– आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अर्न्तगत प्रदेश में कार्यरत विभिन्न चिकित्सा पद्यतियों के स्वास्थ्य सेवा प्रदाता एवं स्वास्थ्य सेवा इकाईयों का कमशः एच0पी0आर0 एवं एच0एफ0आर0 बनाये जाने एवं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सक्षम हास्पिटल मैनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम (एच०एम०आई०एस०) का उपयोग किये जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप अवगत ही हैं कि शासनादेश संख्या–D.O. No. S-12019/128/2021-NDHM, 31ST MAY 2021 के क्रम में "आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन"(ए०बी०डी०एम०) का क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा पूरे भारत वर्ष मे किया जा रहा है और उक्त मिशन का क्रियान्वयन उ०प्र० राज्य में हो रहा है। "आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन" (ए०बी०डी०एम०) का उद्देश्य देश में एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य की आधारभूत संरचना को सहयोग प्रदान करने के लिए आवश्यक ईको सिस्टम विकसित करना है। इसमें डिजिटल हाईवेज के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल सम्बन्धी ईको सिस्टम के विभिन्न हित धारकों के मध्य विद्यमान विसंगतियों का निवारण होगा।

भारत वर्ष के प्रत्येक नागरिक का आयुष्मान भारत हेल्थ एकाउन्ट (आभा– ABHA) का निर्माण किया जा रहा है जो कि एक राष्ट्रीय पहचान संख्या है और आधार की तरह पूरे भारत वर्ष में यूनीक होगा। विभिन्न चिकित्सा पद्यतियों में कार्यरत समस्त स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का एच0पी0आर0 एवं स्वास्थ्य इकाईयों का एच0एफ0आर0 बनाया जा रहा है यह भी राष्ट्रीय पहचान संख्या हैं और पूरे भारत वर्ष में यूनीक होंगे।

आभा आधारित पंजीकरण हेतु आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सक्षम हास्पिटल मैनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम (एच०एम०आई०एस०) का उपयोग किया जाना है। जिससे मरीजों के डिजिटल हेल्थ रिकार्ड का निर्माण किया जा सके और मरीज अपनी सहमति के आधार पर उपयोग कर सके।

यंहा यह भी अवगत कराना है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंगीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा डिजिटल हेल्थ इन्सेन्टिव स्कीम (DHIS) को लागू किया गया है जिसमे आभा आधारित पंजीकरण करने एवं आभा से रिकार्ड जोड़ने पर चिकित्सा इकाई को स्थापित नियमानुसार प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाएगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रदेश में संचालित सरकारी एवं निजी क्षेत्र के समस्त आयुष स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं एवं स्वास्थ्य इकाईयों का क्रमशः एच0पी0आर0 एवं एच0एफ0आर0 बनाने हेतु एवं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सक्षम हास्पिटल मैनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम (एच०एम०आई०एस०) का उपयोग करने के लिये आवश्यक गतिविधियाँ सम्पादित कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(रितु माहेश्वरी)
(आई0ए0एस0)
मिशन निदेशक
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, उ0प्र0।

पत्रांकः–ए०बी०डी०एम०यू०पी०/2024–25/425(1-3) तद्दिनांक–
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः –

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. गार्ड फाइल।

(डा0 मोहित सिंह)
संयुक्त निदेशक,
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, उ0प्र0।